(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा यदि यह दवा सभी कसौटियों पर सही उतरी है, तो सरकार इसके वाणिज्यिक उत्पादन एवं सुगम उपलब्धता हेतु क्या प्रयास कर रही है; और

(घ) क्या सरकार विमाग संबंधी मलेरिया को समाप्त करने के लिए इस दवा को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अपनाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (घ) भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने मेफ्लोक्विन के निर्माण की प्रक्रिया विकसित की है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने देश में इस औषध के विस्तारित नैदानिक परीक्षणों का सुझाव दिया है।

आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाना

2307. **श्रीमती सुषमा स्वराजः**
श्री राम जेठमलानीः

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अगस्त, 1995 के दैनिक "ऑबजर्वर" में "100% एम०एन०सी० आर्म्ज से बी लिमिटेड टू प्राइआरिटी एरिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान कानूनों में कतिपय कमियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य बड़े उद्योग शत-प्रतिशत सहायक कंपनियों का गठन करके लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं हेतु सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं की संख्या कितनी है तथा इनके नाम क्या-क्या हैं, जिनका निर्माण देश में इन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योगों के संरक्षण व संवर्धन के लिए नीतिगत रक्षोपाय विद्यमान हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि लघु उद्योगों को अन्य औद्योगिक उपक्रमों, चाहे वे स्वदेशी अथवा विदेशी हों, द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है अथवा स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता है या अनुषंगी नहीं बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी लघु एकक में विदेशी इक्विटी 24% तक सीमित रहती है। लघु क्षेत्र में 24% से अधिक विदेशी निवेश करने के इच्छुक आवेदकों को अपना लघु उद्योग का दर्जा त्याग देने और औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने अथवा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर करने की छूट होती है, इनमें जो भी लागू हो। लघु क्षेत्र के लिए ही आरक्षित मदों के संबंध में अधिक इक्विटी की भागीदारी अर्थात 24% से अधिक भागीदारी के लिए अनुमोदन देने पर भी विचार किया जाता है बशर्ते कि प्रस्ताव के साथ 75% उत्पादन का निर्यात करने का वचन दिया जाए।

Foreign equity remittance to India by Pepsi Cola

2308. SHRI N. GIRI PRASAD:: Will the Minister of industry be pleased to state (a) Whether pepsico. Indian Holdings was approved and set up with the primary objective of promotion of new export projects, promotion of new joint ventures in export activities, investments in Food Processing Industries, investments in backward areas, linkages with farmers by any of the companies of Pepsico. Inc. in India, investments in beverage business-manufacturing, marketing and distribution, and investements in information technology and financial services investment in technology; and;

(b) if so, the details of appropriation of the foreign equity remitted to India on each of the objectives mentioned above, till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTR'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं

2309. **श्री रामजीलाल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों के विकास के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से नई योजनाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, और

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1995-96 के लिए उनके बजट भाषण में घोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की मार्फत कार्यान्वित किये जाने वाले इस कार्यक्रम के तीन घटक निम्नलिखित हैं:—

(i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(ii) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

(iii) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 65 वर्ष और इससे उपर की आयु के असहाय वृद्ध व्यक्ति को प्रतिमाह 75 रुपये की पेंशन दी जायेगी बशर्ते कि वह अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। पारिवारिक लाभ घटक के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के किसी परिवार के 18-64 वर्षों के आयु वर्ग के मुख्य जीविकोपार्जक की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर शोकाकुल परिवार को 5,000 रुपय की एक राशि दी जायेगी। यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अंतिम घटक मातृत्व लाभ है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त पोषक आहार के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार की 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की गर्भवती महिला को पहले दो जीवित बच्चों तक 300 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वार्षिक अर्हकारी वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:—

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना—480.20 करोड़ रुपए

2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना—193.60 करोड़ रुपए

3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना—136.54 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम नहीं है इसलिए कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की मार्फत रोजगार सृजन नहीं होता है।

Social Responsibility of PSUs

2310. SHRI V. RAJESHWAR RAO.
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR.

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state (a) Whether there is a problem of arriving at a general defination of 'social responsibility' of Public Sector Undertakings;

(b) if so, what steps are being taken to surmount this problem;

(c) whether social responsibility should form a part of the Corporate strategy of the PSUs; and

(d) if so, what has been done by Government about it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The Department of Public enterprises has issued an Office Memorandum on 29.11.1994 regarding social obligations of Central Public enterprises. It is for the individual Public sector Undertakings to identify and implement its social responsibilities keeping in view its financial ability to sustain such activities, operating environment and provisions in its Memorandum of Association/ Statutue. The Public Sector Undertakings enjoy full autonomy in this regard.

Legal opinion sought against Reliance Industries.

2311. SHRI KANAKSINGH MOHANSINGH MANGROLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state (a) what is the total number of cases received from various ministries/ departments for seeking legal opinion on criminal cases against the directors/ executives of Reliance Group of Industries, Ministry-wise;